विज्ञापन क्र. - 34/2024

क्र.: 6/3/2024-पी.ई.एस.बी.

भारत सरकार

Government of India

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

Department of Personnel & Training

(लोक उद्यम चयन बोर्ड)

(Public Enterprises Selection Board)

***

ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़,
Block No.14, C.G.O. Complex, Lodhi Road
नई दिल्ली/New Delhi- 110003
दिनांक : 19/04/2024

सी.पी.एस.ई. का नाम NAME OF THE CPSE	नेपा लिमिटेड NEPA LIMITED
पद का नाम NAME OF THE Vacancy	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
रिक्ति की तारीख Date OF VACANCY	05.12.2023
सी.पी.एस.ई. का नाम की अनुसूची SCHEDULE OF THE CPSE	अनुसूची सी Schedule C
पद का वेतनमान SCALE OF THE POST	रुपये 22500-600-27300(आई.डी.ए.) Rs. 22500-600-27300(IDA)

I. कम्पनी पार्श्विका

नेपा लिमिटेड को वर्ष 1947 में "द नेशनल न्यूज़प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड" के रूप में निजी क्षेत्र में शामिल किया गया था तथा कालांतर में वर्ष 1949 में मध्य प्रांत और बरार (अब मध्यप्रदेश) ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। वर्ष 1959 में केन्द्र सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लिया और वर्ष 1989 में कम्पनी का नाम बदलकर नेपा लिमिटेड कर दिया गया। कम्पनी का उद्देश्य बाजार की मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्ण अखबारी कागज का उत्पादन करना है। यह भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार वाला एक सी.पी.एस.ई. है। पुनरुद्धार एवं मिल विकास परियोजना (आर.एम.डी.पी.) के लिये नेपा लिमिटेड को बजटीय सहायता प्रदान करने, लंबित वेतन/मजदूरी, वैधानिक बकाया का भुगतान, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) के वित्तपोषण और दिनांक 03.10.2023 को सरकार द्वारा अनुमोदित आर.एम.डी.पी. के पूर्ण होने पर कम्पनी के रणनीतिक विनिवेश का प्रस्ताव दिया गया है।

कम्पनी में दिनांक 31.03.2024 तक 151 नियमित कर्मचारी (अधिकारी : 77, कर्मचारी : 74) कार्यरत थे।

इसके पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय नेपानगर, मध्यप्रदेश में स्थित हैं।

दिनांक 31.03.2024 तक कम्पनी की क्रमशः अधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी रुपये 800 करोड़ एवं रुपये 694.34 करोड़ है।

कम्पनी में भारत सरकार की अंशधारिता 97.47% है।

II. कार्य विवरण एवं उत्तरदायित्व

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी होते हैं तथा कम्पनी के निदेशक मण्डल एवं सरकार/अंशधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। वह कम्पनी के कुशल कामकाज एवं उसके निगमित उद्देश्यों तथा कार्यनिष्पादन मापदंडों को प्राप्त करने के लिये उत्तरदायी है।

III. पात्रता

1. आयु : रिक्ति की तिथि पर (डी.ओ.वी.)

सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष			
आंतरिक		**अन्य**	
न्यूनतम	**अधिकतम**	**न्यूनतम**	**अधिकतम**
40	सेवानिवृत्ति की तिथि के संबंध में रिक्ति की तिथि पर 2 वर्ष की शेष सेवा	40	सेवानिवृत्ति की तिथि के संबंध में रिक्ति की तिथि पर 3 वर्ष की शेष सेवा

2. रोजगार की स्थिति

आवेदक को, आवेदन की तिथि के साथ-साथ साक्षात्कार की तिथि पर, निम्नलिखित में से किसी एक में नियमित रूप से नियोजित होना चाहिये, न कि संविदात्मक/तदर्थ रूप में -

(ए) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.) (सी.पी.एस.ई. के मण्डल में एक पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक सहित);

(बी) संघ के सशस्त्र बलों और अखिल भारतीय सेवाओं सहित केन्द्र सरकार के समूह 'ए' अधिकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारी;

(सी) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस.पी.एस.ई.), जहाँ वार्षिक व्यवसाय रुपये 500 करोड़ या अधिक है।

(डी) निजी क्षेत्र की कंपनी, जहाँ वार्षिक व्यवसाय रुपये 500 करोड़ या अधिक है।

(*जिस कैलेंडर वर्ष में पद विज्ञापित किया गया है, उससे पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत अंकेक्षित वार्षिक व्यवसाय को अनुमोदित सीमा लागू करने के लिए माना जाएगा।)

3. शैक्षणिक योग्यता

आवेदक को किसी अग्रणी संस्थान से अभियांत्रिकी स्नातक/सनदी अंकेक्षक/लागत अंकेक्षक/ स्नातकोत्तर/स्नातक के साथ एम.बी.ए./पी.जी.डी.आई.एम. होना चाहिये।

4. अनुभव

आवेदक के पास किसी प्रतिष्ठित बड़े संस्थान में वित्त/व्यवसाय विकास/उत्पादन प्रचालन/विपणन/ परियोजना प्रबंधन में पिछले 10 वर्षों के दौरान कम से कम 5 वर्षों का संचयी अनुभव/अनावृत्ति होना चाहिये।

अखबारी/कागज उद्योग में अनुभव का अतिरिक्त लाभ होगा।

5. वेतनमान

(ए) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम -
योग्य वेतनमान

i. रुपये 6250-7475 (आई.डी.ए.) Pre 01/01/1992
ii. रुपये 8520-10050 (आई.डी.ए.) Post 01/01/1992
iii. रुपये 18500-23900 (आई.डी.ए.) Post 01/01/1997
iv. रुपये 43200-66000 (आई.डी.ए.) Post 01/01/2007
v. रुपये 100000-260000 (आई.डी.ए.) Post 01.01.2017
vi. रुपये 14300-18300 (सी.डी.ए.) Pre-revised
vii. रुपये 37400-67000 + जी.पी. 8700 (सी.डी.ए.)
viii. रुपये 123100-215900 (स्तर 13) सी.डी.ए.

रिक्ति की तिथि के अनुसार पात्र वेतनमान में आवश्यक सेवा की न्यूनतम लंबाई आंतरिक उम्मीदवारों के लिये एक वर्ष एवं अन्य के लिये दो वर्ष होगी।

(बी) (i) **अखिल भारतीय सेवाओं (ए.आई.एस.) एवं स्वायत्त निकायों आदि सहित केन्द्र सरकार के समूह 'ए' अधिकारियों को** आवेदन की तिथि पर भारत सरकार में निदेशक स्तर का पदधारित होना चाहिये या मूल आधार पर समकक्ष वेतनमान रखना चाहिये।

(ii) **सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/वित्तीय संस्थानों के आवेदकों को** आवेदन की तिथि पर एक वर्ष के लिये मण्डल स्तर पर होना चाहिये।

(iii) **संघ के सशस्त्र बलों के आवेदकों को** आवेदन की तिथि पर सेना में ब्रिगेडियर स्तर का पद या नौसेना/वायुसेना में समकक्ष रेंक का पदधारित होना चाहिये।

(सी) **राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निजी क्षेत्र के आवेदकों को** आवेदन की तिथि पर मण्डल स्तर के पद पर कार्यरत होना चाहिये।

6. केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिये तत्काल नियुक्ति की शर्त

केन्द्र सरकार के अधिकारी, जिनमें संघ के सशस्त्र बलों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारी सम्मिलित है, केवल तत्काल समावेश के आधार पर विचार के लिये पात्र होंगे।

IV. नियुक्ति की अवधि

नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिये होगी।

V. आवेदन प्रस्तुतीकरण

आवेदकों को अपने आवेदन प्रारूप के अनुसार ही ऑनलाइन प्रस्तुत करने चाहिये।

1. आवेदकों को अपना आवेदन उचित माध्यम से निम्नानुसार प्रस्तुत करना चाहिये :

(ए) समूह 'ए' केन्द्र सरकार के अधिकारी, जिनमें संघ के सशस्त्र बलों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं : कैडर नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से;

(बी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारी : भारत सरकार के अपने प्रशासनिक मंत्रालय विभाग के माध्यम से;

(सी) सी.पी.एस.ई. में सी.एम.डी./एम.डी./कार्यात्मक निदेशक : संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से;

(डी) सी.पी.एस.ई. में बोर्ड स्तर से नीचे : संबंधित सी.पी.एस.ई. के माध्यम से;

(ई) राज्य पी.एस.ई. में सी.एम.डी./एम.डी./कार्यात्मक निदेशक : राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक सचिव एवं कैडर नियंत्रण प्राधिकारी, यदि कोई हो, के माध्यम से;

(एफ) निजी क्षेत्र : सीधे पी.ई.एस.बी. को।

2. निजी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :

(ए) उस कैलेंडर वर्ष जिसमें पद विज्ञापित किया गया है से पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिये कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वर्तमान में कार्यरत है **(कृपया यू.आर.एल. प्रदान करें या प्रतियाँ संलग्न करें);**

(बी) क्या कम्पनी सूचीबद्ध है या नहीं, यदि हाँ, तो दस्तावेजी प्रमाण **(कृपया यू.आर.एल. प्रदान करें या प्रतियाँ संलग्न करें);**

(सी) मण्डल स्तर पर कार्य करने का साक्ष्य;

(डी) आयु एवं योग्यता के पक्ष में दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ;

(ई) विवरण के साथ अतीत में संभाले गये प्रासंगिक कार्य।

VI. आवेदक द्वारा वचनबध्दता

आवेदक को आवेदन के एक भाग के रूप में एक शपथ पत्र देना होगा कि चयनित होने पर वह पद पर कार्यभार ग्रहण करेगा। यदि कोई आवेदक ऐसा वचन पत्र नहीं देता है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

1. संघ के सशस्त्र बलों एवं अखिल भारतीय सेवाओं सहित केंद्र सरकार के उम्मीदवारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारियों के लिये :

(ए) नियुक्ति तत्काल समावेश के आधार पर है।

(बी) यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार आयोजित होने के पश्चात सम्मिलित होने के लिये अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती है, तो उसे किसी भी सी.पी.एस.ई. में मण्डल स्तर के पद के लिये विचार किये जाने से साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(सी) इसके अतिरिक्त, यदि कोई उम्मीदवार नियुक्ति का प्रस्ताव निर्गमित होने के पश्चात सम्मिलित होने के लिये अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती है, तो उसे किसी भी सी.पी.एस.ई. में मण्डल स्तर के पद के लिये विचार किये जाने से नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

2. सी.पी.एस.ई. के उम्मीदवारों के लिये

(ए) यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार आयोजित होने के पश्चात सम्मिलित होने के लिये अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती है, तो उसे, जहाँ वह कार्यरत है, के अलावा किसी भी सी.पी.एस.ई. में मण्डल स्तर के पद के लिये विचार किये जाने से साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(बी) इसके अतिरिक्त, यदि कोई उम्मीदवार नियुक्ति का प्रस्ताव निर्गमित होने के पश्चात सम्मिलित होने के लिये अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती है, तो उसे, जहाँ वह कार्यरत है, के अलावा किसी भी सी.पी.एस.ई. में मण्डल स्तर के पद के लिये विचार किये जाने से नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

3. **एस.पी.एस.ई./निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिये**

(ए) यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार आयोजित होने के पश्चात सम्मिलित होने के लिये अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती है, तो उसे किसी भी सी.पी.एस.ई. में मण्डल स्तर के पद के लिये विचार किये जाने से साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

(बी) इसके अतिरिक्त, यदि कोई उम्मीदवार नियुक्ति का प्रस्ताव निर्गमित होने के पश्चात सम्मिलित होने के लिये अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती है, तो उसे किसी भी सी.पी.एस.ई. में मण्डल स्तर के पद के लिये विचार किये जाने से नियुक्ति के प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

4. उपरोक्त मामलों में, छूट या अन्यथा के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

VII. आवेदक या तो

(ए) पी.ई.एस.बी. की वेबसाइट - https://pesb.gov.in/ पर इस कार्य विवरण के लिये **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन** भरें एवं उसके पश्चात **इसे ऑनलाइन अग्रेषित करें**, जैसा कि पैरा V(1) में निर्दिष्ट है;

अथवा

(बी) पी.ई.एस.बी. की वेबसाइट - https://pesb.gov.in/ पर इस कार्य विवरण के लिये **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरें**, एक प्रिंटआउट लें और इसे ऑफलाइन भेजें, जैसा कि पैरा V(1) में निर्दिष्ट है;

पी.ई.एस.बी. में आवेदन प्राप्त होने की कुल समयसीमा प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस है। आवेदकों द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17.05.2024 है। नोडल अधिकारियों के लिये पी.ई.एस.बी. को आवेदन अग्रेषित करने की अंतिम तिथि 27.05.2024 है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन और निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

VIII. समय-समय पर जारी विद्यमान दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुये, मण्डल साक्षात्कार के लिये आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

IX. आवेदनों को निम्न पते पर भेजें

सचिव,
लोक उद्यम चयन बोर्ड, लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़,
नई दिल्ली - 110003.

लोक उद्यम चयन बोर्ड के साथ सभी पत्राचार केवल **सचिव, लोक उद्यम चयन बोर्ड** को संबोधित किये जाने चाहिये।